न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1097/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–3201/2026
(CNR No: UPGZ010070432026)

नितिन कुमार पुत्र स्व० शिव कुमार राघव आयु 21 वर्ष निवासी शिव शक्ति विहार प्राइमरी स्कूल के पास निकट पानी की टंकी थाना भावनपुर जिला–मेरठ, पता चूना भटटी रामलाल के ठेके के पास मोदीनगर थाना–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–253/2026
धारा–345(3),317(2), 3(5) बी०एन०एस०
थाना–मोदीनगर, गाजियाबाद।

.....

06.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त नितिन कुमार की ओर से उपरोक्त अपराध में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक /अभियुक्त की पैरोकार श्रीमती बाबी राघव ने इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदक /अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 30.05.2026 को वादी मुकदमा उ०नि० श्री पुरनलाल द्वारा थाना मोदीनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि वादी मुकदमा दिनांक–29.05.2026 को मय हमराहीगण के साथ क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैंकिग कर रहे थे, तभी भोजपुर की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर सवार दो लड़के तथा एक स्कूटी एक्टिवा पर सवार दो लड़के आते दिखायी दिये, पुलिस वालों ने सामने से आते लड़को को रूकने का इशारा किया तो स्कूटी पर सवार दो लड़के घबरा कर स्कूटी मोड़ने का प्रयास करने लगे तथा मोटरसाईकिल पर सवार दोनों लड़के मोटरसाईकिल पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया तभी मोटरसाईकिल फिसलकर गिर गयी। जिन्हें पुलिसबल द्वारा पकड़ लिया गया। स्कूटी चलाने वाले लड़के से नाम पूछा् गया तो उसने अपना नाम कुनाल बताया तथा पीछे बैठे लड़के ने अपना नाम चेतन उर्फ तुषार बताया। मोटरसाईकिल चलाने वाले लड़के ने अपना नाम नितिन कुमार तथा पीछे बैठे लड़के ने अपना नाम हर्ष बताया। लड़को की जामा तलाशी ली गयी तो कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई। पकड़े गये लड़को से स्कूटी एक्टिवा व मोटरसाईकिल के बारे में सख्ती से पूछा गया तो बताया कि हम लोग वाहनों की चोरी करते है, स्कूटी को हम लोगों ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व मेरठ से चोरी किया था तथा मोटरसाईकिल को लाक तोड़कर चोरी किया। स्कूटी व मोटरसाईकिल पर लगी नम्बर प्लेट को ई–चालान एप पर चेक किया गया तो नम्बर गलत पाया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए यह तर्क दिया गया है कि आवेदक /अभियुक्त निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का उपरोक्त केस से कोई संबंध नहीं है। आवेदक /अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक /अभियुक्त अपने घर मेरठ से अपनी मोटरसाइकिल से गाजियाबाद

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.06.06 15:40:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निजी कार्य से आ रहा था तभी मोदीनगर राज चौपला पर थाना हाजा की पुलिस द्वारा चैकिंग के नाम पर आवेदक/अभियुक्त को रोक लिया और हैलमेट न होने की वजह से पुलिस के द्वारा आवेदक/अभियुक्त को गन्दी गन्दी गालियां देते हुए कहा सुनी हो जाने की वजह से पुलिस ने झूठा उक्त मुकदमें में फंसा दिया। आवेदक /अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है जो भी बरामदगी दर्शायी गयी है वह फर्जी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 30.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त तथा सह अभियुक्तगण से चोरी की स्कूटी व एक मोटरसाईकिल बरामद हुई है जिसे वे फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहे थे। उपरोक्त आधार पर जमानत का कोई आधार नहीं है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क विस्तृत रूप से सुने। प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

7. वर्तमान मामलें में चैंकिग के दौरान आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण से एक अदद मोटरसाईकिल एवं स्कूटी एक्टिवा बरामद होना अभिकिथत है, जिसे वे फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहे थे। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अपराध की धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 30.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है। सह अभियुक्तगण चेतन व कुनाल की जमानत दिनांक 04.06.2026 को स्वीकार हो चुकी है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्त नितिन कुमार की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अंकन 50,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दिनांक 06.06.2026